Sem- 6 core- 13.

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए प्रयोग करता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों से तात्पर्य उन तरीकों तथा प्रक्रिया से है जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है।

इन स्रोतों को दो कोटियों में विभाजित किया जाता है — (i) औपचारिक (Formal) दूसरा (ii) सारवान (Material)

सारवान स्रोतों से तात्पर्य उस सामग्री से है जिससे विधि निर्मित होती है। इसी से विधि (law) की विषयवस्तु बनती है।

औपचारिक स्रोत को प्रत्यक्ष स्रोत भी कहते हैं यह उन कृत्यों या तथ्यों से बनते हैं जिसके द्वारा इस विषयवस्तु को विधिक वैधता (legitimacy) एवं बन्धनकारी बल प्रदान किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की निम्न श्रेणियां हैं-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय - अ० विधि के स्रोतों में सर्वप्रथम स्थान। अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (जिसमें सभी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय संधियां सम्मिलित हैं।) विषय अभिसमय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ वे करार हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत आपस में सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के प्रकार -

(i) विधि निर्माण करने वाली संधियाँ
(ii) वे संधियाँ जो सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं- जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर।
(iii) सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ - वेस्टफालिया की संधि- 1648, वर्सेलीज की संधि (1919)
(iv) संविदा संधियाँ - विधि निर्माण करने वाली संधियों के विपरीत संविदा संधियाँ दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में होती हैं तथा उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो कि उसके पक्षकार होते हैं।

31.3.20

(2) अन्तर्राष्ट्रीय प्रथायें - सदियों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रथायें अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत मानी जाती रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा सम्बन्धी नियम वे नियम हैं जिनका विकास सामान्यतः लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है कोई प्रथा तभी बन्धनकारी मानी जाती है जबकि उसमें कुछ विशेषताएं हों जैसे (i) प्रथा दीर्घकाल से प्रचलित होनी चाहिए।

(ii) यह तर्कसंगत हो

(iii) ऐसी होनी चाहिए जिसका निरंतर पालन होता रहता हो

(iv) इसमें एकरूपता होना चाहिए।

(v) प्रथा सुनिश्चित होनी चाहिए।

(vi) राज्य इसे सामान्यतः अभ्यास में लाते हों।

(3) न्यायाधिकरणों एवं न्यायालय के निर्णय - न्यायालय के निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं -

(क) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय (ख) राज्यों के निर्णय

(4) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय -

(i) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं अतः वह ऐसे अभ्यासों या व्यवहारों का विकास कर सकती है जो प्रथा सम्बन्धि विधि का रूप ग्रहण कर लें अथवा उसके विकास में योगदान दें

(ii) बहुपक्षीय संस्थाएँ करवा के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विकास करने में सहायक होती हैं।

उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त कुछ गौण स्रोत भी हैं।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य - जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करता है तो दूसरे राष्ट्रों को भी वैसा करना पड़ता है। ओपेनहाइम के अनुसार इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता पहुँचती है।

(2) राज्यों के पत्र - अनेक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर आपस में पत्र व्यवहार करते हैं। इससे भी विधि के गंभीर तथा जटिल प्रश्न निखर जाते हैं।

Bharat Kumar
31.3.20